न्यायालय : - उपजिलाधिकारी

मण्डल :आजमगढ़ , जनपद :आजमगढ़ , तहसील :सगड़ी

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202215060707161

वाद संख्या:- 7161/2022

आ0ए0एण्ड वेल0 ट्रस्ट मसुरियापुर मैने0 ट्र0 श्री अजय कुमार बनाम सरकार

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 80

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 23/09/2022

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत वाद अजय कुमार सिंह पुत्र कल्पनाथ सिंह निवासी ग्राम मसुरियापुर परगना व तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ द्वारा आर0सी0 प्रपत्र-25 उ0प्र0रा0सं0, 2006 की धारा 80(1) के अन्तर्गत उद्घोषणा हेतु आवेदन प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया है कि ग्राम ओढ़रा सलेमपुर परगना व तहसील सगड़ी जिला आजमगढ़ की खतौनी 1424-1429फ0 के खाता संख्या 34 गाटा संख्या 20/1.2940हे0 में से रकबा 0.788हे0 व खाता सं0 198 गाटा सं0 21/0.1780हे0 में से रकबा 0.029हे0 कुल 2 गाटा रकबा 0.8170हे0 आदर्श एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट ग्राम मसुरियापुर जिला आजमगढ़ वजरिये मैनेजिंग ट्रस्टी श्री अजय कुमार सिंह पुत्र कल्पनाथ सिंह सा0 मसुरियापुर परगना व तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ का नाम बतौर हिब्बेदार संक्रमणीय भूमिधर से अन्य खातेदार अंकित है। उक्त भूमि अकृषिक रूप में प्रयोग की जा रही है, जिसमें उक्त रकबा पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है जो अकृषिक कार्य में प्रयोग की जा रही है। जिसे अकृषिक करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक द्वारा अपने कथन के समर्थन में मौजा ओढ़रा सलेमपुर की उद्धरण खतौनी, खसरा प्रस्तुत किया गया है। जो संलग्न पत्रावली है।

उपरोक्त की जांच तहसीलदार सगड़ी द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 19.09.2022 को प्रस्तुत की गयी है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि ग्राम ओढ़रा सलेमपुर के खतौनी 1424-1429फ0 के खाता संख्या 34 गाटा संख्या 20/1.2940हे0 में से रकबा 0.788हे0 व खाता सं0 198 गाटा सं0 21/0.1780हे0 में से रकबा 0.029हे0 कुल 2 गाटा रकबा 0.8170हे0 आदर्श एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट ग्राम मसुरियापुर जिला आजमगढ़ वजरिये मैनेजिंग ट्रस्टी श्री अजय कुमार सिंह पुत्र कल्पनाथ सिंह सा0 मसुरियापुर परगना व तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ का नाम अंकित है, उक्त भूमि का उपयोग अकृषिक कार्य में की जा रही है। जिसमें कृषि कार्य नहीं किया जाता है। अकृषिक प्रयोग में लायी जा रही है। जिसे अकृषिक घोषित किया जाय। इंगित भूमि सार्वजनिक/सुरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं है। उक्त आराजी में कृषि कार्य न करने से अकृषिक घोषित कर लगानमुक्त किये जाने योग्य है। प्रश्नगत् आराजियात के सम्बन्ध में उ0प्र0 के किसी भी राजस्व न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है। प्रस्तावित गाटा के सन्दर्भ में धारा 133 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कोई वाद संस्थित नहीं हुआ है। प्रश्नगत गाटा किसी महायोजना में प्रस्तावित नहीं है। जो0च0आ0पत्र 41, 45 की प्रति व नजरी नक्शा संलग्न करते हुए उक्त भूमि गैर कृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की गयी है।

तहसीलदार सगड़ी की आख्या निर्धारित प्रपत्रों पर प्राप्त होने के उपरान्त मैंने पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। ग्राम ओढ़रा सलेमपुर परगना व तहसील सगड़ी जिला आजमगढ़ के उद्धरण खतौनी के 1424-1429फ0 के खाता संख्या 34 गाटा संख्या 20/1.2940हे0 में से रकबा 0.788हे0 व खाता सं0 198 गाटा सं0 21/0.1780हे0 में से रकबा 0.029हे0 कुल 2 गाटा रकबा 0.8170हे0 पर आदर्श एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट ग्राम मसुरियापुर जिला आजमगढ़ वजरिये मैनेजिंग ट्रस्टी श्री अजय कुमार सिंह पुत्र कल्पनाथ सिंह सा0 मसुरियापुर परगना व तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ में से रकबा 0.8170हे0 जिसका उपयोग अकृषिक कार्य में की जा रही है। जो कृषि या उससे संबंधित प्रयोजनों में प्रयुक्त नहीं की जा रही है। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित दर 440रू0 प्रति वर्गमीटर की दर से नियम 85 के अन्तर्गत उद्घोषणा शुल्क रू0 35984.00 (पैंतीस हजार नौ सौ चैरासी रूपये) मात्र ट्रेजरी चालान संख्या-2 दिनांक-20.09.2022 के माध्यम से जमा किया गया है। उ0प्र0रा0संहिता 2006 संशोधन अध्यादेश 2019 दिनांक 10.03.2019 के धारा 80 की उपधारा 2 के अधीन घोषणा से 5 वर्ष के अवधि के भीतर निर्माण क्रिया-कलाप एवं अन्य निर्देश पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा। तहसीलदार सगड़ी की आख्यानुसार अपेक्षित शर्तें पूर्ण हो रही है। न्याय शुल्क (कोर्ट फीस) सर्किल रेट के अनुसार आगणित मूल्य का 1 प्रतिशत रू 36000.00 (छत्तीस हजार रूपये) मात्र जिसका भारतीय गैर न्यायिक ई-स्टाम्प (प्र0न0IN00462087852369N) जमा किया गया

Scanned with CamScanner

है, जो पत्रावली में संलग्न है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी नेजाई को अकृषिक एवं भू-राजस्व रहित भूमि घोषित किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अतः तहसीलदार सगड़ी की जांच आख्या दिनांक 19.09.2022 के आधार पर मौजा ओढ़रा सलेमपुर परगना व तहसील सगड़ी जिला आजमगढ़ की उद्धरण खतौनी 1424-1429फ0 के खाता संख्या 34 गाटा संख्या 20/1.2940हे0 में से रकबा 0.788हे0 व खाता सं0 198 गाटा सं0 21/0.1780हे0 में से रकबा 0.029हे0 कुल 2 गाटा रकबा 0.8170हे0 आदर्श एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट ग्राम मसुरियापुर जिला आजमगढ़ बजरिये मैनेजिंग ट्रस्टी श्री अजय कुमार सिंह पुत्र कल्पनाथ सिंह सा0 मसुरियापुर परगना व तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ के नाम अंकित भूमि को अकृषिक भूमि जो अकृषिक कार्य में प्रयोग की जा रही है, को अकृषक भूमि घोषित करते हुए मा0गु0 60ख के अनुसार भू-राजस्व रहित घोषित की जाती है। यह आदेश किसी प्रकार के मुआवजा धनराशि आवंटन हेतु प्रभावी नहीं होगा। यदि तथ्यों को छिपाकर आदेश प्राप्त किया जाता है तो वह स्वतः शून्य होगा। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रमाणित प्रति उपनिबंधक सगड़ी तथा एक प्रति तहसीलदार सगड़ी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागार (माल) में दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक-

(राजीव रत्न सिंह)
उप जिलाधिकारी
सगड़ी, आजमगढ़।

यह आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया जाता है।

(राजीव रत्न सिंह)
उप जिलाधिकारी
सगड़ी, आजमगढ़।

<u>Disclaimer :</u>

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बन्धित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

Scanned with CamScanner